<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br><u>निगरानी/टी.ए./6137/2004/अलवर</u><br>विनोद बनाम फकीरचंद</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
</table>

**एकल पीठ**
**डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**

**<u>उपस्थित :</u>**
श्री के.के. पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

## <u>आदेश</u>

**1—** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—230 के तहत न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—9—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

**2—** प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी शांति देवी का देहान्त दिनांक 05—6—2000 को होने पर वादी द्वारा मृतक के वारिस को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं किये जाने पर अप्रार्थी फकीरचन्द ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़ के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16—10—2002 द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर दावा वादी अबेट कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी वादी ने प्रथम अपील न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29—9—2004 द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज की गई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा मण्डल न्यायालय में मूलतः अपील संस्थित की गई थी, जिस पर निर्णय दिनांक 19—11—2018 अनुसार अबेटमेंट आदेश के विरूद्ध अपील की बजाय निगरानी पोषणीय होने से पत्रावली निगरानी की मानी जाकर एकलपीठ को स्थानांतरित की गई।

**3—** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

**4—** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दावे के विचाराधीन रहते प्रतिवादी शांति देवी का देहान्त दिनांक 05—6—2000 को हो गया। प्रार्थी ने आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत दो बार प्रार्थना पत्र पेश किया गया, प्रथम बार दिनांक 01—08—2001 व पुनः दिनांक 30—09—2002 को पेश कर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>निगरानी/टी.ए./6137/2004/अलवर</u>**<br>**विनोद बनाम फकीरचंद** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मृतक शांति के वारिस को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया था। फिर भी न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई आदेश पारित नहीं कर अप्रार्थी फकीरचन्द का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर दावा अबेट कर दिया गया। अप्रार्थी फकीरचन्द दावे में पक्षकार नहीं होने से उसे बिना रिकॉर्ड पर आये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था। दावे में प्रतिवादी शांति की मृत्यु की सूचना अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 10 के प्रावधान अनुसार नहीं दी गई थी इसलिए दावा अबेट किया जाने का आदेश न्यायसम्मत नहीं है। फकीरचन्द शांति देवी का वारिस है जिसे उसकी मृत्यु की सूचना देनी चाहिए थी। न्यायालय द्वारा उसी के प्रार्थना पत्र पर शांति देवी की अंदर मियाद कायम मुकाम न किया जाकर मानकर दावा अबेट करने का निर्णय कर गम्भीर त्रुटि की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अनेक निर्णयों में वारिस कायमी आवेदन स्वीकार करने में नरम रूख रखने, प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णीत करने की प्राथमिकता व तकनीकी कारणों को पूर्ण निर्णय में बाधा न बनाने तथा तकनीकी आधार पर किसी को न्याय से वंचित न करना प्रतिपादित किया गया है। अतः विचारण न्यायालय को नरम का रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वारिस कायमी स्वीकार कर प्रतिवादी शांति के वारिस को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी कानूनन गलत व्याख्या कर विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय निरस्त जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2005 (12) आरबीजे (एस.सी) पेज 235, 2004 (11) आरबीजे पेज 165 एवं 2005 (1) आर.एल.डब्ल्यू (एच.सी) पेज 270 नजीरें पेश की।<br><br>**5–** उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि वादी द्वारा मृतक के वारिस को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दावा कानूनन स्वतः अबेट हो गया था। वादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उन्होंने प्रकरण में दो बार प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर मृतक के वारिस को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया है, जबकि उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना साबित नहीं होने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी की अपील खारिज की है। अप्रार्थी फकीरचन्द शांति का पुत्र होकर उसका विधिक वारिस है जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत करने उपरांत भी प्रार्थी द्वारा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**<u>निगरानी/टी.ए./6137/2004/अलवर</u>**<br>**विनोद बनाम फकीरचंद** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को अबेट करने में ऐसी कोई त्रुटि नहीं की है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश हो। प्रकरण में कायम मुकाम पेश न करना तकनीकी त्रुटि न होकर जानबूझ कर की गई कार्यवाही है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर 2010 आरबीजे पेज 628 (एस.सी), 2017 आरबीजे पेज 386 (एस.सी), 2001 एआईआर पेज 2552 (एस.सी), 2001 आरएलडब्ल्यू पेज 427 (एच.सी), 2017 आरबीजे पेज 19, 2019 आरबीजे पेज 261 एवं 2012 आरबीजे पेज 540 (एच.सी) प्रस्तुत की गई।<br><br>6— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा बहस में अभिकथन किया कि भूमि मूलतः मंदिर मूर्ति की है। वादी को यह तथ्य जानकारी में होते हुये भी न तो विचारण न्यायालय और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में बदनियतिपूर्वक मंदिर मूर्ति को पक्षकार नहीं बनाया है, जिस पर हस्तगत निगरानी में मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षार्थ पक्षकार बनने का आवेदन करने पर निगरानी में उसे पक्षकार बनाया गया है। भूमि पर विनोद तथा फकीरचंद दोनों का पक्ष नहीं बनता तथा दोनों द्वारा परस्पर साज कर मंदिर की भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर मूर्ति की ओर से विचारण न्यायालय में पृथक से भी दावा विचाराधीन है। प्रार्थी की निगरानी चलने योग्य न होने से खारिज की जावे।<br><br>**7—** उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।<br><br>**8—** विचारण न्यायालय में विचाराधीन दावा विनोद कुमार बनाम शांति में प्रार्थी फकीरचन्द द्वारा शांति देवी की दिनांक 05—6—2000 को मृत्यु हो जाने तथा उसकी अंदर मियाद नाम कायमी न करना जाहिर कर दावा अबेट किये जाने का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सीपीसी आदेश दिनांक 29—1—2002 प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रार्थी वादी ने दिनांक 06—4—2002 को जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मुख्यतः इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि शांति देवी की मृत्यु पर अंदर मियाद प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल पेश कर दिया था, जिस पर न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार किया जाने उपरांत वादी ने दिनांक 01—12—1999 को टाइटिल भी पेश कर दिया था। यह भी कि फकीरचन्द ही शांति का पुत्र होकर उसका अकेला वारिस है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वह समय पर शांति देवी की मृत्यु की | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/टी.ए./6137/2004/अलवर**<br>**विनोद बनाम फकीरचंद** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | सूचना देता। फकीचन्द ने स्वयं भी अपने प्रार्थना पत्र में शांति का वारिस होना स्वीकार किया है, अतः आदेश 20 नियम 9 प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16—10—2002 में फकीरचन्द द्वारा प्रस्तुत दावा अबेटमेंट प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए माना कि वादी का वारिस कायमी आवेदन प्रस्तुत करने का तथ्य साबित नहीं है तथा जो टाईटिल दिनांक 01—12—1999 को प्रस्तुत किया गया है, वह शांति के वारिसान से संबंधित नहीं होकर अन्य प्रयोजनार्थ है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी वादी का यह तथ्य साबित न होकर स्वीकार योग्य नहीं माना कि वादी द्वारा दो बार नाम कायमी आवेदन किया गया है तथा प्रस्तुत टाईटिल दिनांक 01—12—1999 इससे संबंधित नहीं है।<br><br>**9—** हस्तगत निगरानी में भी प्रार्थी वादी द्वारा दिनांक 01—8—2001 तथा 30—9—2002 को शांति की कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करना जाहिर किया है। दावे की पत्रावली तथा आदेशिका अनुसार हालांकि यह साबित होना परिलक्षित नहीं होता कि वादी द्वारा उल्लेख अनुसार विधिवत शांतिदेवी की नाम कायमी हेतु आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन हम विषयवस्तु का समग्र रूप से विवेचन कर निर्णय करना उचित मानते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली से यह अस्पष्ट है कि फकीरचंद द्वारा किस विधिक अनुमति से दिनांक 29—1—2002 प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 9 जाब्तादीवानी का आवेदन किया गया था। इस क्रम में उसका प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत यह तथ्य विचारण योग्य है कि वादी ने बिना प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल पेश किये तथा बिना इसे स्वीकार कराये जानबूझ कर फकीरचंद को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। हालांकि इस तथ्य से प्रकरण में फकीर चन्द द्वारा दिनांक 29—01—2002 को आवेदन करने से पूर्व कोई कार्यवाही/निर्णय होने का आभास मिलता है, लेकिन फकीरचंद को पक्षकार बनाने बाबत पूर्व में वस्तुतः क्या कार्यवाही चली, इस बाबत कोई स्पष्ट स्थिति पत्रावली से जाहिर नही होती है। विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी द्वारा कायम मुकाम प्रस्तुत न करना विवेचित किया गया है, लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई विश्लेषण नहीं किया कि फकीर चंद दावे में पक्षकार नहीं है तथा उसके द्वारा किस आधार व अनुमति से दावे में प्रवेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 प्रस्तुत कर दावा अबेट होना क्लेम किया जा रहा है। फकीर चंद शांति का पुत्र होकर उसका अकेला वारिस होना दोनों पक्ष स्वीकारते हैं। अगर उसके द्वारा दिनांक 29—1—2002 को शांति की अंदर मियाद वारिस कायमी न की जाने से दावा अबेट होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टी.ए./6137/2004/अलवर</u>**<br>**विनोद बनाम फकीरचंद** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | तो निश्चय ही उसके द्वारा पूर्व में भी शांति की मृत्यु की सूचना दी जाकर स्वयं को दावे में उसका विधिवत वारिस स्थापित करवाया जा सकता था। दावे में शांति द्वारा जवाब दावा पेश किया गया था तथा उसकी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता भी नियुक्त थे, अतः न्यायालय में उसकी मृत्यु की समय पर सूचना प्रस्तुत की जानी विधिवत आवश्यक थी, जिसके अभाव में वादी द्वारा अंदर मियाद वारिस कायमी प्रस्तुत न की जाने से दावा अबेट करने का निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर न्यायसम्मत व विधिसम्मत नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का फकीर चंद की आवेदन प्रस्तुत करने की अधिकारिता तथा आदेश 22 नियम 10 के प्रावधानों पर विचारण किये बिना दावा अबेट होना मान लिया जाना विधिसम्मत निर्णय होना नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों में उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि वारिस कायमी बिंदु पर विलम्ब के विचारण में नरम रूख अपनाते हुये तकनीकी आधार पर ही इसे निर्णीत करने की बजाय दावे को मेरिट के आधार पर तय किया जाना न्यायसम्मत है तथा पक्षकार को मात्र तकनीकी आधार पर ही फैसला कर न्याय से वंचित नही ंकिया जाना चाहिए। अतः संपूर्ण वस्तुस्थिति पर विचारण व मनन पश्चात हम प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होकर दोनों मातहत न्यायालयों का दावा अबेट किया जाने का निर्णय निरस्तनीय होना मानते हैं। प्रकरण में फकीर चन्द का ही शांति का वारिस होने का तथ्य स्पष्टतः आ चुका है, इसलिये अब पुनः शांति की वारिस कायमी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना औचित्ययुक्त नहीं है, बल्कि फकीर चंद को प्रतिवादी शांति का वारिस कायम करते हुये हम दावे पर विचारण किया जाना उचित व न्यायसम्मत मानते हैं।<br><br>**10–** अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर तथा सहायक कलक्टर बहरोड़ के आदेश क्रमशः दिनांक 29–9–2004 तथा दिनांक 16–10–2002 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 फकीर चंद को प्रतिवादी शांति का वारिस कायम किया जाते हुये विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी वादी द्वारा संस्थित दावा विनोद कुमार बनाम शांति में विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही व विचारण किया जावे।<br>पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>**(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)**<br>**सदस्य** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/टी.ए./6137/2004/अलवर**<br>**विनोद बनाम फकीरचंद** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |